

न्यायालय सहायक कलेक्टर (SDO) बालोतरा (कोर्ट केम्प असाड़ा)
पीठासीन अधिकारी : श्री शैलेश सुराणा, RAS (सचिव नगर सुधार न्यास बाड़मेर)

राजस्व वाद संख्या 201C /2021

वादी :-

1. विनोद पुत्र कानाराम
जाति कलबी निवासी असाड़ा
तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. जयमालराम पुत्र देरामजी
2. धनाराम पुत्र मगनाराम
जतियान कलबी निवासी असाड़ा
3. राजस्थान सरकार जरिये भू -धारक तहसीलदार पचपदरा

2021
498

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरुस्ती

उपस्थिति :- 1. उभय पक्षकरण

निर्णय

दिनांक :- 14.11.2021

वादी के वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी की संयुक्त पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नं 1004 से 1008 रकबा 84 बीघा 15 बिस्वा , खसरा नं 851,1447 रकबा 11 बीघा 03 बिस्वा व खसरा संख्या 2030/1070, 2031/1074 रकबा 29 बीघा 18 बिस्वा सरहद मौजा असाड़ा पटवार मण्डल असाड़ा तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी व प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। वादी नाबालिग होने से बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम त्रिभुवन उर्फ त्रिभुवनेश पुत्र कानाराम होने से राजस्व रेकर्ड में त्रिभुवन उर्फ त्रिभुवनेश पुत्र कानाराम नाम दर्ज किया गया । जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड में वादी का सही नाम विनोद पुत्र कानाराम दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादी नें राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज त्रिभुवन उर्फ त्रिभुवनेश के स्थान पर सही नाम विनोद पुत्र कानाराम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेश कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम त्रिभुवन उर्फ त्रिभुवनेश पुत्र कानाराम के स्थान विनोद पुत्र कानाराम दुरुस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच सहायक प्रभारी अधिकारी तहसीलदार पचपदरा से करवाई गई, उनकी ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरुस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन पाया गया कि वादी द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत सरकारी दस्तावेजात पेन कार्ड, आधार कार्ड आदि में विनोद पुत्र कानाराम दर्ज है, साथ ही सरपंच ग्राम पंचायत असाड़ा एवं तहसीलदार पचपदरा की जांच रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट साबित है कि राजस्व रेकर्ड मे वादी का नाम दर्ज करते समय बचपन का नाम त्रिभुवन उर्फ त्रिभुवनेश पुत्र कानाराम दर्ज किया गया है जबकी वादी का सही नाम विनोद पुत्र कानाराम है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

सहायक कलेक्टर
(SDO) बालोतरा



न्यायालय सहायक कलेक्टर (SDO) बालोतरा (कोर्ट केम्प असाड़ा)
पीठासीन अधिकारी : श्री शैलेश सुराणा, RAS (सचिव नगर सुधार न्यास बाड़मेर)

राजस्व वाद संख्या 201C /2021

वादी :-

1. विनोद पुत्र कानाराम
जाति कलबी निवासी असाड़ा
तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. जयमालराम पुत्र देरामजी
2. धनाराम पुत्र मगनाराम
जतियान कलबी निवासी असाड़ा
3. राजस्थान सरकार जरिये भू-धारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरुस्ती

उपस्थिति :- 1. उमय पक्षकरण

निर्णय

दिनांक :- 14.11.2021

वादी के वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी की संयुक्त पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नं 1004 से 1008 रकबा 84 बीघा 15 बिस्वा , खसरा नं 851,1447 रकबा 11 बीघा 03 बिस्वा व खसरा संख्या 2030/1070, 2031/1074 रकबा 29 बीघा 18 बिस्वा सरहद मौजा असाड़ा पटवार मण्डल असाड़ा तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी व प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। वादी नाबालिग होने से बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम त्रिभुवन उर्फ त्रिभुवनेश पुत्र कानाराम होने से राजस्व रेकॉर्ड में त्रिभुवन उर्फ त्रिभुवनेश पुत्र कानाराम नाम दर्ज किया गया । जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड में वादी का सही नाम विनोद पुत्र कानाराम दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। वादी ने राजस्व रेकॉर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज त्रिभुवन उर्फ त्रिभुवनेश के स्थान पर सही नाम विनोद पुत्र कानाराम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेश कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम त्रिभुवन उर्फ त्रिभुवनेश पुत्र कानाराम के स्थान विनोद पुत्र कानाराम दुरुस्ती की जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच सहायक प्रभारी अधिकारी तहसीलदार पचपदरा से करवाई गई, उनकी ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरुस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।


हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन पाया गया कि वादी द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत सरकारी दस्तावेजात पेन कार्ड, आधार कार्ड आदि में विनोद पुत्र कानाराम दर्ज है, साथ ही सरपंच ग्राम पंचायत असाड़ा एवं तहसीलदार पचपदरा की जांच रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट साबित है कि राजस्व रेकॉर्ड मे वादी का नाम दर्ज करते समय बचपन का नाम त्रिभुवन उर्फ त्रिभुवनेश पुत्र कानाराम दर्ज किया गया है जबकी वादी का सही नाम विनोद पुत्र कानाराम है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

सहायक कलेक्टर
(SDO) बालोतरा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा मजमें आम में की जांच रिपोर्ट के आधार मौजा असाड़ा के खेत खसरा नं. 1004 से 1008 रकबा 84 बीघा 15 बिस्वा , खसरा नं 851, 1447 रकबा 11 बीघा 03 बिस्वा व खसरा नं. 2030/1070, 2031/1074 रकबा 29 बीघा 18 बिस्वा वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम त्रिमुवन उर्फ त्रिमुवनेश पुत्र कानाराम के स्थान पर विनोद पुत्र कानाराम घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2021 को शिविर असाड़ा में मजमें आम में सुनाया गया।




(शैलेश सुराणा ,RAS)
(सचिव नगर सुधार न्यास, बाड़मेर)
प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गावों के संग अभियान-2021
सहायक कलेक्टर
(S.D.O) बालोतरा